विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

क्या है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के आरोप पर हटाने की प्रक्रिया?

भारत के संविधान के अध्याय IV में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से सम्बन्धित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में न्यायालय के गठन की व्यवस्था है तथा अनुच्छेद 124(2) में उच्चतम न्यायलाय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया दी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जावेगा, इसका उल्लेख विस्तार से अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। अनुच्छेद 124 के खण्ड 4 में यह व्यवस्था है कि न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जावेगा, जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाये जाने के बाबत संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति अपना आदेश पारित नहीं करें। Motion (प्रस्ताव) के लिये 100 पार्लियामेण्ट अथवा 50 सदस्य राजसभा के होने चाहिये।

अनुच्छेद 124(5) में यह व्यवस्था है कि संसद खण्ड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के लिये संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार यह आवश्यक रखा गया है कि वह शपथ लेगा या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करेगा कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखेगा तथा सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी योग्यता के साथ ज्ञान व विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालना करेगा तथा संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखेगा। यह शपथ औपचारिक नहीं है, जहां कोर्ट का गवाह साधारण रूप से शपथ पर ही झूठ बोलता है; किन्तु यह तो संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (6) के अनुसार पद की गरिमा के लिये अति आवश्यक है।

जहाँ तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सम्बन्ध है, उनके बाबत उच्च कोर्ट के गठन व न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की कार्यवाही के बाबत प्रावधान संविधान के अध्याय V में देखे जा सकते हैं। पाठकों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 218 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो स्पष्ट करता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सम्बन्ध में जो प्रावधान खण्ड (4) और खण्ड (5) के उपबन्धों में दिये हैं वे वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे।

अनुच्छेद 124 के खण्ड (4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का कारण Proved Misbehaviour or Incapacity अर्थात् कदाचार व असमर्थता है। यही आधार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने पर लागू है। अनुच्छेद 124 का खण्ड (6) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बाबत हैं और वैसा ही प्रावधान (उपबंध) अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायाधीशों के संबंध में है।

न्यायमूर्ति रामामूर्ति के केस में उन्हें हटाये जाने के लिये राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को लोकसभा में अपेक्षित बहुमत नहीं मिल सका। कई संसदों ने सुनवाई से अपने को अलग कर लिया था। महाअभियोग पास नहीं हो सका। अत: न्यायाधीशों को हटाने के सम्बन्ध में संविधान में दी गई प्रक्रिया को हमें अच्छी तरह समझना होगा।

संविधान के अनुच्छेद 124 खण्ड (5) में दिये अधिकार के तहत् संसद खण्ड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता व अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। इस हेतु संसद ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 पारित किया। केन्द्र सरकार ने गजट में प्रकाशित कर अपनी एक विज्ञप्ति से इस अधिनियम को दिनांक 05.12.1968 से लागू किया।

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और उसे साबित करने तथा संसद द्वारा राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित विषयों को विनियमित करने वाला अधिनियम है। इस प्रकार यह अधिनियम महाअभियोग की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसमें दी गई प्रक्रिया के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिये। उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार तीन जजों की नियुक्ति की जाती है। यह कमेटी Motion के पास होने के बाद बनाई जाती है। यह जांच कमेटी न तो राजनीति से प्रभावित होती है और न जुडिशियल ही कही जा सकती है। जांच कमेटी Quasi judicial Authority है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर अपनी जांच की कार्यवाही करती है। इस कमेटी के समक्ष प्रोसीक्यूशन को Misbehaviour (कदाचार) अथवा Incapacity (असमर्थता) के आरोपों (Charges) को साक्ष्य के आधार पर साबित करना होता है। इसे कानूनी भाषा में जांच कमेटी की Findings कहते हैं। रिपोर्ट साक्ष्य के आधार पर होनी चाहिये। बचाव पक्ष को यानी आरोपी न्याायधीश को अपनी सफाई पेश करने का पर्याप्त मौका देना चाहिये। जांच की रिपोर्ट पत्रावली के साथ संसद में पेश होती है और दोनों सदन के सदस्य मानों वे स्वयं न्यायाधीश हैं सुनवाई करते हैं और अपना निर्णय देते हैं।

हमारे न्यायाधीश देवतुल्य हैं, सन्त जैसे हैं आचरण की पवित्रता ही उन्हें न्यायाधीश बनाती है। अतः उनके लिये तो साधारण कदाचार (भ्रष्टाचार) भी क्षम्य नहीं है। जज का पद गरिमा का है। कोई भी समाज सन्त को चाहे वह कैसा ही महान सन्त रहा हो, स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह भ्रष्ट हो। देश ने कभी भी आचारहीन भ्रष्ट व्यक्ति को अपना शासक नहीं माना। अतः साधारण कदाचार करने वाला न्यायाधीश, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने की योग्यता गंवा देता है। उसे सेवा से हटाना ही उचित है।

मूल प्रश्न जो ऐसी जांच कार्यवाही में आरोपी न्यायाधीश द्वारा उठाये जा सकते हैं वे हैं क्या आरोप कदाचार अथवा असमर्थता की परिभाषा में आते हैं?

'कदाचार' और 'असमर्थता' के शब्दों को जिनका उल्लेख अनुच्छेद 124(5) में किया गया है उन्हें संविधान में अथवा न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 में परिभाषित नहीं किया गया है। इनकी परिभाषा The Judges (Inquiry) Bill, 2006, The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 तथा न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005 में हमें मिलती है किन्तु ये Bill अधिनियम नहीं बन पाये अत: शक्तिहीन हो गये।

सी.के. रविचन्दन अय्यर बनाम ए भट्टाचारी के केस में कृष्णास्वामी बनाम भारत संघ 1992 (4) एससीसी 605 में कदाचार शब्द को भ्रष्टाचार के रूप में माना गया है। निष्ठा की कमी या नैतिक पतन से जुड़ा अपराध कदाचार है। न्यायाधीश का दुर्व्यवहार वह कृत्य है जब न्यायाधीश न्यायिक कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता पाया जावे या जानबूझकर पद का दुरूपयोग करता है।

जस्टिस यशवन्त वर्मा के विरूद्ध कदाचार का आरोप है। शिकायत होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया। इस कमेटी में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संघावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन सदस्य थे। जांच कमेटी ने उसके समक्ष प्रस्तुत शहादत के आधार पर आरोपों को सही पाया और महाअभियोग (Impeachment) की कार्यवाही जस्टिस वर्मा के विरूद्ध की जाने की सिफारिश ताकि उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटाया जा सके। कमेटी के समक्ष जस्टिस वर्मा के विरूद्ध आरोप था कि उनके सरकारी आवास पर एक बहुत बडी धनराशि जली हुई नकदी के बोरों में मिली। कमेटी ने पाया कि एक गम्भीर कदाचार है। उनके विरूद्ध आरोप था कि उक्त राशि रिश्वत की हो सकती है, जो काला धन है। जांच कार्यवाही में जस्टिस वर्मा ने उस राशि का स्रोत्र नहीं बतलाया।

अभी 2-3 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उक्त घटना का उल्लेख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कोच्चि में छात्रों व संकाय सदस्यों के साथ संवाद के दौरान भी उल्लेख किया। धनखड़ ने कहा अपराध की जांच तो होनी ही चाहिये, यदि धनराशि इतनी अधिक है तो यह जानना आवश्यक है कि क्या यह काला धन है? इसका स्रोत्र क्या है? यह न्यायाधीश के सरकारी आवास पर कैसे पहुंचा? उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिये। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने माना कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना एक विकल्प हो सकता है। यह विषय अलग चर्चा का है, यहां हम जस्टिस वर्मा के केस को आरोपों तक ही सीमित रख रहे हैं। जस्टिस वर्मा के विरूद्ध केस कदाचार का है, अत: यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि भ्रष्टाचार (रिश्वत) के आरोप में उन्हें नहीं हटाया जा सकता।

लेखक का मत है कि कदाचार शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। हिन्दी शब्दकोष में कदाचार शब्द के अर्थ में Misbehaviour, Misconduct, Corruption को कहा गया है तथा कदाचारी को Corrupt द्वारा सम्बोधित किया है व भ्रष्टाचारी उसे कहा गया है जो Corrupt है। रिश्वत भ्रष्टाचार का गम्भीर रूप है।

यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो पायेंगे कि हमारे संविधान निर्माता न केवल विद्वान थे अपितु दार्शनिक व दूरदर्शी भी थे। उनका मानना था कि हमारे न्यायाधीश ऐसे होने चाहिये जिनके चरित्र पर कोई अंगुली भी न उठा पाये। रिश्वत के आरोप पर तो किसी भी साधारण कर्मचारी को सेवा से Dismiss किया जा सकता है। किन्तु हमारे न्यायाधीश देवतुल्य हैं, सन्त जैसे हैं आचरण की पवित्रता ही उन्हें न्यायाधीश बनाती है। अत: उनके लिये तो साधारण कदाचार (भ्रष्टाचार) भी क्षम्य नहीं है। जज का पद गरिमा का है। कोई भी समाज सन्त को चाहे वह कैसा ही महान सन्त रहा हो, स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह भ्रष्ट हो। देश ने कभी भी आचारहीन भ्रष्ट व्यक्ति को अपना शासक नहीं माना। अत: साधारण कदाचार करने वाला न्यायाधीश, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने की योग्यता गंवा देता है। उसे सेवा से हटाना ही उचित है।

देश के विधिवेक्ता, विद्वान गम्भीरता से इस विषय पर चिन्तन करेंगे कि न्यायधीश वर्मा का केस रिश्वत का नहीं हो तो भी यह मामला कदाचार का तो है ही। इतनी बडी धनराशि घर में मिलना और उसका स्रोत्र (Source) नहीं बतलाना कदाचार ही है। न्यायाधीश वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने की संविधान अनुमति देता है। प्रतीक्षा करें, प्रस्ताव मानसून सत्र में, संसद में पेश हो रहा है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत में घट रही गरीबी की दर

राम शर्मा

भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहाँ आर्थिक असमानता और गरीबी लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में देश ने आर्थिक विकास की उल्लेखनीय गति हासिल की है, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकारी आँकड़ों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में गरीबी की दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।

वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत में गरीबी से लोग तेजी से उभर रहे हैं। आर्थिक असमानता कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक के गिनी इंडेक्स के अनुसार समान समाज वाले देशों की सूची में भारत दुनिया का चौथा सबसे समान समाज वाला देश बन गया है। इसका मतलब यह है कि देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा अधिकतम लोगों तक पहुंच रहा है।

भारत का 'गिनी इंडेक्स' 25.5 है, ये दिखाता है कि देश में आर्थिक असमानता कम है। ये स्कोर स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद आता है, लेकिन चीन (35.7), अमेरिका (41.8) और 7 और 20 देशों से बेहतर है। आज़ादी के बाद से ही भारत ने गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी है। 1950-60 के दशक में देश में गरीबी की दर लगभग 60 प्रतिशत थी, जो 1990 तक घटकर 45 प्रतिशत रह गई। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने तेज़ी से विकास किया, जिससे गरीबी में कमी आई। विश्व बैंक के अनुसार, 2011 तक भारत में गरीबी की दर 21.9 प्रतिशत थी, और 2022 तक यह घटकर 10 प्रतिशत से नीचे आ गई।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2005-06 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में देश की बहुआयामी गरीबी (एमपीआई) दर 29.17 प्रतिशत से घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई।

देश में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढे हैं। भारत की उञ्ज वृद्धि ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। सेवा क्षेत्र, निर्माण उद्योग और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाया है।

केन्द्र और राज्य स्तर पर चल रही लोक कल्याणकार सरकारी योजनाओं ने भी गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जैसी प्रमुख योजनाएं है। इसी प्रकार वित्तीय समावेशन की योजनाओं ने भी लोगों का जीवन स्तर सुधारा है। जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई में लेन देन जैसी तकनीकों ने सरकारी लाभ सीधे गरीबों तक पहुँचाया, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों की संख्या कम हो रही है, लेकिन चुनौती अभी बनी हुई है। देश में संतुलित विकास की कमी है। लेकिन कुछ राज्यों और समूहों में अभी भी गंभीर असमानता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गरीबी दर तेज़ी से घटी है। इसी प्रकार ग्रामीण भारत में गरीबी अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, हालाँकि अंतर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदायों में गरीबी दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

देश में महँगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं गरीबी उन्मूलन में बड़ी चुनौती बनी हुई है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतें गरीबों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में महंगाई दर इन दिनों घटी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति मई 2025 में घटकर 2.82 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 3.16प्रतिशत थी और बाजार की 3 प्रतिशत की उम्मीदों से भी कम थी। लेकिन यह सीजनल गिरावट है। व्यवहार काल में मध्यम वर्ग के लिए अब भी महंगाई एक बड़ी समस्या है।

इसी तरह भ्रष्टाचार भारत में एक महामारी के रूप में उभरा है। यह सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचने देता। इससे आर्थिक असमानता भी आ रही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2024 में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। 2023 में भारत 93वें स्थान पर था, इसलिए इस साल रैंकिंग में गिरावट आई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को मापने का एक वैश्विक संकेतक है। यह सूचकांक 0 से 100 तक के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जिसमें 0 सबसे भ्रष्ट और 100 सबसे कम भ्रष्ट का प्रतिनिधित्व करता है। 2024 में भारत का स्कोर 38 है। कोविड-19 के बाद बेरोज़गारी भी एक बड़ी समस्या है।

आय स्तर के मामले में किसान समुदाय अब भी पीछे है। किसान की आय अनिश्चित और सीमित है। जलवायु परिवर्तन ने फसल उत्पादन को प्रभावित किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुँच। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी गरीबी को बनाए रखती है। इस सब कारणों के चलते गरीबी कम होने के बावजूद भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, देश के शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल संपत्ति का 77 प्रतिशत हिस्सा है। भारत ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकार को न केवल आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को भी मज़बूत करना होगा। गरीबी कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। यदि सही नीतियाँ बनाई जाएँ और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो भारत वास्तव में एक गरीबी-मुक्त समाज की ओर अग्रसर हो सकता है।

-राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

पाली के सोनाई मांझी शिविर में एईएन प्रकाश पटेल ने लीला देवी के घर में किया उजाला

सौरभ सिंगारिया और प्रकाश पटेल।

सरकार की नीतियों और योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित करना प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य होता है लेकिन जब कोई अधिकारी अपने इस कर्तव्य में सार्थक जीवन मूल्यों को शामिल कर लेता है तो आमजन को मिलती है बेहतर, संवेदनशील और गुड गवर्नेंस। पाली जिले में पदस्थ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियन्ता प्रकाश पटेल ने एक ऐसी ही मिसाल कायम की है।

पाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुख्यालय सीनाई मांझी पर आयोजित शिविर में लाभान्वित आइचिया निवासी लीला देवी पत्नी वसाराम भील के परिवार की भोजन और आवास की जरूरत तो राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते पूरी हो जाती है लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से बहुत समस्याओं से दो-चार होना पड़ता था।

लीला देवी ने कनेक्शन का आवेदन तो किया था और डिमांड राशि भरने के लिए कई जगह उधार मांग के भी देखा लेकिन कहीं से सहायता नहीं मिली। एक दरवाजा बंद होता है तो है तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। लीला देवी को भरोसा नहीं था लेकिन ईश्वर पर विश्वास था और उसी विश्वास की उम्मीद में शिविर में आ गई। किसी से बिजली कनेक्शन वाले स्टॉल के बारे में पूछकर वह इसके आसपास घूम रही थी लेकिन समस्या बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी।

तभी एईएन प्रकाश पटेल अपनी कुर्सी से उठे और लीला देवी से समस्या पूछी। पहले तो हिचकिचाहट में उसने बताया नहीं लेकिन पटेल की आत्मीयता के कारण अपना दुखडा रो दिया।

इस पर पटेल ने हाथों-हाथ स्वयं की जेब से डिमांड राशि भरी और मौके पर कार्मिकों को भेजकर उसके घर कनेक्शन करवाया। वे लीला देवी को राजस्व शिविर में भी ले गए और जरूरी कागजी कागजी कार्यवाही करवा कर स्वामित्व योजना में प्रोपर्टी कार्ड दिलवाया।

लीला देवी ने भावुक होकर पटेल को धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि आज मैं जिस पद पर हूं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता हूं फिर भी मदद न करूं तो मानवता कैसे बचेगी। समाज जो देता है, हमें काबिल बनकर समाज को लौटाना होता है। यही बैक टू सोसायटी है, यही मानवता है, यही सुप्रशासन और रामराज्य है।

अक्सर इन शिविरों में अपना काम होने पर लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस शिविर में लाभार्थी लीला देवी के साथ ही सहायक अभियन्ता प्रकाश पटेल ने भी मुख्यमंत्रीजी का धन्यवाद दिया और कहा कि वे समाज के पिछडे और विकास की दौड में पिछड़ गए लोगों, समूहों को मुख्यधारा में लाने का प्रशंषनीय कार्य कर रहे हैं। मेरा इसमें वही योगदान है जो श्रीराम सेतु निर्माण में एक गिलहरी ने दिया था।

इस आर्टिकल को संयुक्त रूप से सहायक निदेशक (डीआईपीआर) सौरभ सिंगारिया और जेवीवीएनएल के सहायक अभियन्ता प्रकाश पटेल ने लिखा और सम्पादित किया है।

शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों व विद्यार्थियों में आक्रोश

- **उपरेडा ग्राम पंचायत में खातन खेड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामवासियों ने सुबह विद्यालय के ताला लगा दिया**
- **विद्यालय में करीब 400 के लगभग नामांकन है, लेकिन मात्र पांच शिक्षक ही लग रहे हैं**

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायला में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों व छात्र-छात्राओं ने विद्यालय को ताला लगा दिया। तालेबंदी की खबर मीडिया पर चलने के बाद शिक्षा विभाग तत्काल एक्शन में आया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पांच टीचर लगाने के आदेश दिए।

गौरतलब है कि उपरेडा ग्राम पंचायत में खातन खेड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामवासियों ने सुबह विद्यालय के ताला लगा दिया। अध्यापक व छात्रों को अंदर नहीं घुसने दिया। छात्रों ने नारेबाजी की कि हमें टीचर चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, छात्र-छात्राओं ने नारे लगाए। शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं ने तालाबंदी की। विद्यालय में करीब 400 के लगभग नामांकन है, लेकिन मात्र पांच शिक्षक ही लग रहे हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक का विद्यालय होने के बावजूद भी पूरे शिक्षक नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षण कार्य में परेशानी होती है। इधर तालाबंदी की सूचना पर शाहपुरा बनेड़ा विधायक लालाराम बैरवा ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से बनेड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात कर तुरंत प्रभाव से पांच टीचर लगाने का आदेश दिए। उसके बाद विद्यालय के छात्र-छात्रा व ग्रामवासियों ने ताला खोला और अध्ययन चालू हुआ। इस दौरान उपरेडा ईश्वर सिंह सरपंच, प्रहलाद बैरवा पूर्व सरपंच, मिट्ठू गुर्जर, मुन्ना खां, गोविंद तेली, हीरालाल, कुर्बान, गोपाल गुर्जर, हबीब खां आदि मौजूद थे।

गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया

पावटा, (निसं)। पूर्णिमा के पावन पर्व पर कहीं गुरू पूजे गए तो कहीं उनकी पादुकाओं का पूजन किया गया। इस पावन पर्व पर भण्डारे, सत्संग और भजनों का आयोजन भी हुआ। गुरू पूर्णिमा का यह पर्व सुबह से लेकर शाम तक मनाया गया। इस दौरान लोग अपने-अपने गुरूओं के घर भी पूजन करने के लिए गए। वहीं शहर में मंदिरों में श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाकर भगवान व गुरुजनों से आशीर्वाद लिया।

उपखण्ड की ग्राम पंचायत टोरडा गुजरान स्थित भरतदास आश्रम बगीची टोरडाधाम में मंदिर महंत मंगलदास के सानिध्य में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड एवं उपखण्ड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, जिले के अधिकारी, भक्तों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर विधायक हंसराज पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मंगलदास जी महाराज को पत्र के जरिये अभिनंदन करते हुए गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित की। सुंदरकांड के सामुहिक पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुरु पूर्णिमा पर भगवान श्रीराम, जानकी, हनुमान जी का पुष्पों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया। गुरु पुर्णिमा पर उमड़े भक्तों के जन सैलाब ने मन्दिर महंत मंगलदास महाराज सहित गुरुओं का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया।

राशिफल शुक्रवार 11 जुलाई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रात: 5:56 तक, वैधृति योग रात्रि 8:44 तक, बालव करण दिन 2:08 तक, चन्द्रमा आज दिन 12:09 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज वैधृति पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:26 तक, लाभ-अमृत 7:26 से 10:59 तक, शुभ 12:32 से 2:14 तक, चर 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:44, सूर्यास्त 7:20

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

वृष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। मित्रों/रिश्तेदारों के कारण परेशानी हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

मिथुन
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्रमा शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है।

कर्क
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

धनु
मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति में सुधार होगा। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।